भारतीय मानक ब्यूरो
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग), भारत सरकार
मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

विज्ञापन सं. 1/2020/स्थापना

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय और देश में मानकीकरण, उत्पाद एवं पद्धति प्रमाणन, सोना/चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग, प्रयोगशाला परीक्षण करने, इत्यादि के क्षेत्र में गतिविधियों हेतु उत्तदायी निकाय, बीआईएस मुख्यालय, नई दिल्ली और देशभर में स्थित बीआईएस कार्यालयों में सीधी भर्ती द्वारा निम्नलिखित पदों पर रिक्तियाँ भरने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से नीचे दिए गए विवरणानुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है:

1. **रिक्तियों की संख्या** : इन पदों की रिक्तियों का श्रेणीवार ब्रेक-अप निम्नानुसार है :

क्र. सं.	पद का नाम	रिक्तियों की सं.	अनारक्षित	ईड्ब्ल्यूएस	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.पि.व.	समानांतर रिक्तियाँ	
								पीडब्लूडी	भू.पू.सै.
1	तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला)	**30 @**	04	11	04	04	07	01 (बधिर)	03
2	वरिष्ठ तकनीशियन	**20 #**	11	02	01	02	04	01 (बधिर)	02

@30 रिक्तियों का विषय-वार विभाजन - 12 रसायन, 05 मैकनिकल, 02 इलैक्ट्रीकल, 06 सूक्ष्मजीव विज्ञान, 05 सिविल

#20 रिक्तियों का विषय-वार विभाजन - 01 वातानुकूलन/रैफ्रिजरेशन, 07 मैकेनिक (डीजल ईंजन), 05 इलैक्ट्रीशियन, 03 फीटर, 01 वैल्डर, 03 कार्पेंटर

-संक्षिप्तियाँ : यूअर - अनारक्षित, ईड्ब्ल्यूएस - आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अ.जा. - अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. - अनुसूचित जन जाति, अ.पि.व. - अन्य पिछड़ा वर्ग, भू.पू.सै.- भूतपूर्व सैनिक पीडब्लूडी - विकलांग/ दिव्यांग,

i) दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार "आरक्षण की इंटरलॉकिंग" उपलब्ध कराई जाएगी।

ii) दिव्यांगों के लिए आरक्षित रिक्तियों हेतु प्रतियोगी होने या छूट/रियायत लेने हेतु आवेदन करने के पात्र दिव्यांग की न्यूनतम विकलांगता 40% होनी चाहिए।

iii) ये पद इन चार (दृष्टिहीनता/कमजोर दृष्टि/वर्णांधता) प्रकार के दिव्यांगों के लिए चिह्नित नहीं किए गए हैं।

iv) आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण: **17 फरवरी 2020 से 08 मार्च 2020 तक**

v) महत्त्वपूर्ण सेवा शर्तों के लिए कृपया **अनुलग्नक-I** देखें।

2. आरक्षण :सभी आरक्षणों के संबंधी विवरणों हेतु **अनुलग्नक–II** देखें।

3. शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएँ:

क्र.सं.	**पद का नाम**	**अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएँ**
1	तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला)	(i) कम से कम साठ प्रतिशत (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पचास प्रतिशत) अंकों के साथ विज्ञान में स्नातक डिग्री (एक प्रमुख विषय के रूप में रसायनशास्त्र या सूक्ष्मजीव विज्ञान या भौतिकीशास्त्र या जैव-प्रौद्योगिकी, या खाद्य प्रौद्योगिकी या जैव-रसायनशास्त्र या इलैक्ट्रॉनिक्स के साथ); या (ii) कम से कम साठ प्रतिशत (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पचास प्रतिशत) अंकों के साथ मैकेनिकल या इलेक्ट्रीकल या कैमिकल या इलैक्ट्रॉनिक्स या फुड टैक्नोलॉजी या मेटलर्जी मे तीन वर्षीय डिप्लोमा।
2	वरिष्ठ तकनीशियन	(i) मैट्रीक या इसके समकक्ष; (ii) निम्नलिखित ट्रेड में से किसी एक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र : (क) इलैक्ट्रीशियन; (ख) एयर-कंडिशनिंग; (ग) रैफ्रिजरेशन; (घ) मैकेनिक (डीजल ईंजन); (ड़) फीटर; (च) कार्पेंटर; (छ) वैल्डर (वैल्डर संगत भारतीय मानक के अनुसार वैल्डर अर्हता परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए); और (iii) संबंधित ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव हो।

अधिक विवरण के लिए, कृपया **अनुलग्नक –III** देखें।

4. आयु सीमा आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण की तारीख को

(i) तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला) हेतु अभ्यर्थियों की आयु 18-30 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वरिष्ठ तकनीशियन पद हेतु आयु 18-27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला) के मामले में अभ्यर्थी का जन्म **"09 मार्च 1990 से पहले"** और **"09 मार्च 2002 के बाद"** भी नहीं हुआ होना चाहिए और वरिष्ठ तकनीशियन के मामले में अभ्यर्थी का जन्म **"09 मार्च 1993 से पहले"** और **"09 मार्च 2002 के बाद"** भी नहीं हुआ होना चाहिए;

(ii) अधिकतम आयु सीमा में छूट हेतु, कृपया **अनुलग्नक – IV** देखें।

5. वेतन संरचना (वेतनमान), पदों की भर्ती हेतु भर्ती प्रक्रिया:

क्र.सं.	**पद का नाम**	**7वें आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल**	**पद का समूह**	**भर्ती की प्रक्रिया**
1	तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला)	लेवल-6	ग	ऑनलाइन परीक्षा और निपुणता/ प्रायौगिक/ ट्रेड परीक्षा
2	वरिष्ठ तकनीशियन	लेवल-4	ग	ऑनलाइन परीक्षा और निपुणता/ प्रायौगिक/ ट्रेड परीक्षा

6. ऑन-लाइन परीक्षा:ऑन-लाइन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए ऑन-लाइन परीक्षा; परीक्षा केंद्रों; और अन्य दिशानिर्देशों/ जानकारी क्रमशः **अनुलग्नक-V, VI तथा VII** में दी गई हैं।

7. **कैसे आवेदन करें-** उम्मीदवार 21 दिन तक बीआईएस की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में आवेदन अन्य कोई माध्यम/तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके आगे जानकारी के लिए **अनुलग्नक-VIII** देखें।

8. आवेदन शुल्क का भुगतानः

i. आवेदन शुल्क 500 रूपये होगा। एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/भूतपूर्व सैनिक/महिला और बीआईएस में सेवारत विभागीय उम्मीदवारों द्वारा कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा;

ii. आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑन-लाइन प्रणाली के माध्यम से किया जाना है;

iii. आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण के 21 दिनों के दौरान शुल्क देय होगा और इसकी वापसी नहीं की जाएगी।

iv. आवेदन शुल्क/अंतरिम शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए यदि कोई प्रभार हो तो स्वंय उम्मीदवार द्वारा बैंक लेनदेन प्रभार का वहन किया जाएगा।

9. ईवेंट्स तालिका निम्नांकित हैः

ऑनलाइन इवेंट्स	**तारीख/अवधि**
आवेदन पत्र का पंजीकरण	17 फरवरी 2020 से 8 मार्च 2020 तक
आवेदन शुल्क का भुगतान (ऑन लाइन)	17 फरवरी 2020 से 8 मार्च 2020 तक
ऑन लाइन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करना	23 मार्च 2020 (अनंतिम)
ऑनलाइन परीक्षा	29 मार्च 2020 (अनंतिम)
ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम	21 अप्रैल 2020 (अनंतिम)

उम्मीदवारों को नियमित रूप से विवरण और अद्यतन जानकारी के लिए अधिकृत बीआईएस वेबसाइट और उनके पंजीकृत ईमेल आईडी नियमित रूप से देखते रहें।

10. महत्वपूर्ण निर्देशः विवरण के लिए **अनुलग्नक-IX** देखें

11. **घोषणाएः** भर्ती प्रक्रिया से संबंधित आगे की सभी घोषणाएं/विवरण केवल पंजीकृत ईमेल आईडी और एसएमएस के माध्यम से उम्मीदवार के अपने पंजीकृत मोबाइल फोन पर समय-समय पर भेजे जाएंगे और बीआईएस की वेबसाइट www.bis.gov.in पर भी प्रकाशित/उपलब्ध कराए जाएंगे।

दिनांक: 14 फ़रवरी 2020
स्थान: नई दिल्ली

निदेशक (स्थापना)
भारतीय मानक ब्यूरो

अनुलग्नक-I

1. **परिवीक्षाः** 2 वर्ष
2. **सेवा लाभः** छुट्टी/एलटीसी/चिकित्सा लाभ/एक वर्ष में 15 दिनों का अवकाश नकदीकरण
3. **तैनातीः** नियुक्ति होने पर पूरे भारत में स्थित अपने किसी भी कार्यालय में उम्मीदवारों को तैनात करने का अधिकार बीआईएस को है।
4. **करियर की संभावनाएः**
5. क) सभी पदों के लिए उच्च पदों पर पदोन्नति के मार्ग उपलब्ध हैं।

   ख) सभी पदों के लिए संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगतन (एमएसीपी) स्कीम के अन्तर्गत उच्चतर ग्रेडों में तीन वित्तीय उन्नयन भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-II

आरक्षण के संबंध में सामान्य अनुदेश

संकेताक्षरः यूआर- अनारक्षित, एससी- अनुसूचित जाति, एसटी- अनुसूचित जनजाति, ओबीसी- अन्य पिछड़ा वर्ग, पीडबल्यूडी- दिव्यांग व्यक्ति, वीआई- दृष्टि बाधित, एचआई- बधिर, ओएच- ओर्थोपेडिक दिव्यांग, आईडी & एमआई- स्व्लीनता, विशिष्ट अधिगम निशक्तता और बौद्धिक निशक्तता, एमडी- बहु निशक्तताये, , ईड्ब्ल्यूएस - आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग

सामान्यः

i. भारत सरकार के निर्देशनुसार दिव्यांग उम्मीदवारों को इंटरलॉकिंग आरक्षण प्रदान किया जाएगा" ; तथा

ii. न्यूनतम 40% निशक्तता वाले दिव्यांग केवल विज्ञापित पदों हेतु प्रतिस्पर्धा के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

1. **दिव्यांग व्यक्तियों की परिभाषा (पीडब्ल्यूडी) विकलांग [दिव्यांगजन]:**
दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2 (आर) के तहत, केवल ऐसे व्यक्ति आरक्षण के लिए पात्र होंगे, जो कम से कम 40% निर्दिष्ट निःशक्ता से पीड़ित हैं और केंद्र/राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित हैं। इस तरह के लाभों का दावा करने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अपने दावे के समर्थन में (सक्षम प्राधिकारी द्वरा इस विज्ञापन के अंत में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख तक या उससे पहले जारी किया गया मूल) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। दिव्यांग व्यक्तियों को आवश्यकता के अनुसार किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय में कार्य करना होगा। निम्नलिखित दिव्यांगता वाले उम्मीदवार उनके लिए आरक्षित रिक्तियों हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं। (भारत सरकार के 15 जनवरी 2018 दिशानिर्देशों के अनुसार):

i. दृष्टिहीनता और कमजोर दृष्टि-

a) "दृष्टिहीनता" का अर्थ है एक ऐसी स्थिति जहां किसी व्यक्ति की स्थिति सर्वोत्तम सुधार के बाद निम्न में से कोई हो,

i) दृष्टि का पूर्णतः न होना; या

ii) सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ बेहतर आंख में 3/60 या 10/200 (स्नेलन) से कम दृश्य तीक्ष्णता; या

iii) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से कम के कोण के नीचे फैलना।

b) "कम-दृष्टि" का अर्थ है एक ऐसी स्थिति जहां किसी व्यक्ति की निम्न में से कोई भी स्थिति हो, अर्थात्:

i) दृष्टि तीक्ष्णता 6/18 से अधिक या 20/60 से कम 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) से अधिक नहीं हो सकती है, जिसमें बेहतर संभव सुधार हो; या

ii) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से 10 डिग्री तक के कोण के नीचे फैलना।

ii. बधिर और कम सुनाई देना-

(a) "बधिर" का मतलब है कि दोनों कानों में स्पीच फ्रीक्वेंसी में 70 डीबी श्रव्यता हानि वाले लोग;

(b) "कम सुनाई देना" का अर्थ है कि दोनों कानों में स्पीच फ्रीक्वेंसी में 60 डीबी से 70 डीबी श्रव्यता हानि वाले व्यक्ति;

iii. सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ितों और मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी सहित लोकोमोटिव विकलांगता-

लोकोमोटिव निशक्तता मस्कुलोस्केलेटल की पीड़ा अथवा से उत्पन्न नर्वस सिस्टम या दोनों के परिणाम जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए किसी व्यक्ति अक्षमता), में सम्मिलित हैः

ए) 'कुष्ठ उपचारित व्यक्ति' का अर्थ है- ऐसा व्यक्ति जिसका कुष्ठ रोग का उपचार हो चुका हो लेकिन वह (i) प्रत्यक्ष विकृति के बिना हाथ और पैर में संवेदनहीनता और नेत्रों और पलकों में पेशियों के पक्षाघात से पीड़ित है (ii) प्रत्यक्ष विकृति और पेशियों का पक्षाघात किंतु सामान्य कार्य करने हेतु हाथ-पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होना। (iii) अत्यधिक शारीरिक विकृति तथा अग्रवर्ती आयु, जो उन्हें कोई भी लाभकारी उपजीविका आरंभ करने से रोकती है और कुष्ठ रोग उपचारित अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार लिया जाएगा।

(बी) "सेरेब्रल पाल्सी" का अर्थ है शरीर की गतिशीलता और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थिति का एक समूह, जो आमतौर पर जन्म के पहले, दौरान या उसके तुरंत बाद मस्तिष्क के एक या एक से अधिक विशिष्ट भागों में नुकसान होने के कारण होता है

(ग) "बौनापन" का अर्थ है एक चिकित्सीय या आनुवांशिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप किसी वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम होना;

(घ) "मस्कुलर डिस्ट्रॉफी" का अर्थ है वंशानुगत आनुवांशिक मांसपेशी रोग का एक समूह जो मानव शरीर को गतिशील बनाने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है और मल्टीपलस्ट्रॉफी वाले मानवों में जीन की गलत और अधूरी जानकारी होती हैं जो कि उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों हेतु प्रोटीन बनाने से रोकता है। इसमें प्रगतिशील कंकाल का कमजोर होना, प्रोटीन में दोष और कोशिकाओं और ऊतक की मृत्यु की विशिष्टता होती है।

(ई)"एसिड अटैक पीड़ितों" का अर्थ है कि एसिड या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ को फेंकने से हिंसक हमले के कारण विकृत व्यक्ति।

औटिज्म अधिगम विकलांगता, मानसिक और बौद्धिक अक्षमता

1. "भाषण और भाषा निशक्तता" का अर्थ है एक स्थायी निशक्तता जो कि लैरींगक्टोमी या वाचाघात जैसी स्थितियों से उत्पन्न होती है जो कार्बनिक या न्यूरोलॉजिकल कारणों के कारण भाषण और भाषा के एक या अधिक घटकों को प्रभावित करती हैं।
2. बौद्धिक अक्षमता, बौद्धिक कामकाज (तर्क, शिक्षा, समस्या को हल करना) और अनुकूली व्यवहार दोनों में महत्त्वपूर्ण सीमा के कारण एक ऐसी स्थिति जिसमें हर दिन, सामाजिक और व्यावहारिक कौशल शामिल हैं-

   ए) "विशिष्ट सीखने की अक्षमता" का अर्थ है विषम परिस्थितियों का एक समूह जिसमें बोलने या लिखने में भाषा के प्रसंस्करण में कमी होती है, जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है और इसमें अवधारणात्मक अक्षमता, डिस्लेक्सिया, डिस्कग्राफिया, डिस्कलेकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और विकासात्मक वाचाघात के रूप में ऐसी स्थितियां शामिल हैं;

   बी) "ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर" का मतलब है कि जीवन के पहले तीन वर्षों में आमतौर पर दिखने वाली एक न्यूरो-विकासात्मक स्थिति जो किसी व्यक्ति की बातचीत करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को काफी प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या रूढ़िबद्ध अनुष्ठान या व्यवहार से जुड़ी होती है।

3. मानसिक व्यवहार,-

   "मानसिक बीमारी" का अर्थ सोच,मनोदशा,धारणा,अभिविन्यास या स्मृति का एक महत्त्वपूर्ण विकार जो कि स्थाई रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने में अक्षम होता है, लेकिन इसमें मंदता शामिल नहीं है जो कि किसी व्यक्ति के दिमाग के जड़ होने की स्थिति यह विशेष तौर से बुद्धि के कम-सामान्य होने का अभिलक्षण है।

4. निशक्तता के कारण

   ए) क्रॉनिक तंत्रिका संबंधी स्थितियां, जैसे-

   i) "मल्टीपल स्केलेरोसिस" का अर्थ है सूजा हुआ, नर्वस सिस्टम की बीमारी जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतु के चारों ओर माइलिन क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसमें अपक्षय होता है और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में तालमेल स्थापित करने में तंत्रिका कोशिकाओं की क्षमता प्रभावित होती है।

   ii) "पार्किंसंस रोग" का अर्थ है कंपन, मांसपेशियों की कठोरता और धीमी गति से, तंत्रिका आंदोलन द्वारा चिह्नित नवर्स सिस्टम की एक प्रगतिशील बीमारी, मुख्य रूप से मस्तिष्क के बेसल गैन्ग्लिया के अधः पतन और न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी से जुड़े मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करती है

   बी) रक्त विकार-

i) "हीमोफिलिया" एक वंशानुगत बीमारी है, जो आमतौर पर केवल पुरूष को प्रभावित करती है, लेकिन महिलाओं द्वारा उनके पुरूष बच्चों में संक्रमित होती है, जिसके लक्षण है रक्त के सामान्य थक्के की अक्षमता या हानि, जिससे गौण घाव के फलस्वरूप घातक रक्तस्राव हो सकता है;

ii) "थैलेसीमिया" का अर्थ है, वंशानुगत विकारों का एक समूह जिसके लक्षण है हीमोग्लोबिन की कम या शून्य मात्रा का होना

(iii)'सिकल सैल डिसीज'' से अभिप्राय है हिमोलिटिक विकार जो कि संबद्ध ऊतकों तथा अंग क्षतिगस्त होने के कारण एनीमिया, दर्दहोना और विभिन्न प्रकार की जटिलताओं से परिलक्षित होती है;''हीमोलिटिक'' से अभिप्राय है लाल रक्त कोशिकाओं की सैल झिल्ली का नष्ट होना जिससे की हीमोग्लोबिन स्रावित होने लगता है।

v) **बिधरांधता सहित दिव्यांगों में बहुदिव्यांग्ता [धारा I से iv के अंतर्गत]**-

बधिरांधता सहित बहुदिव्यांग्ता (ऊपर निर्दिष्ट दिव्यांग्ता में से एक से अधिक) से अभिप्राय है वह स्थिति जिसमें व्यक्ति सुनने एवं देखने में बाधित हो जिसके उसकी बोलचाल, विकास और शिक्षा में गंभीर समस्याएं आती हों।

2. **लिखने वाले (scribe) का प्रयोग करने वाले दिव्यांगों के लिए दिशा-निर्देश**-

क) लोकोमोटर श्रेणी और प्रमस्तिष्क पक्षाघात(cerebral pasly) की श्रेणी में आने वाले दिव्यांग उम्मीदवार की स्थिति में यदि उम्मीदवार चाहे तो उसे लिखने वाले/लैब सहायक की सुविधा दी जाएगी।
ख) निर्धारित दिव्यांगता वाले अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर लिखने वाले/लैब सहायक का प्रावधान की अनुमति दी जा सकती है। यह प्रमाणपत्र परिशिष्ट-क में दिए गए प्रोफार्मा के अनुरूप सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मेडिकल सुपरीटेंडैंट द्वारा जारी किया गया और इस आशय का हो कि संबधित व्यक्ति की लिखने में शारीरिक सीमाएं हैं और उसके लिए परीक्षा लिखने के लिए लिखने वाला होना आवश्यक है।
ग) यदि उम्मीदवार अपना लिखने वाला लाता है तो उसकी योग्यता उम्मीदवार की योग्यता से एक स्टैप कम हो। अपना लिखने वाला व्यक्ति साथ लाने वाले निर्धारित दिव्यांग्ता वाले उम्मीदवार को **परिशिष्ट ख** के अनुसार अपने लिखने वाले व्यक्ति का विवरण देना होगा।

स्क्राइब **प्रदान करने के अन्य नियम व शर्तें वही होगी जैसा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांग सशक्तता विभाग द्वारा 29 अगस्त 2018 को जारी ''Guidelines for conducting written examination for persons with benchmark disability 2018"में दी गई हैं।**

3. दिव्यांगजन के लिए प्रमाणपत्र जारी करनेवाला सक्षम प्राधिकारी, जैसा कि नि:शक्तजन अधिकार नियम, 2017 में निर्धारित है, होगा। (जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित हो): प्रमाणपत्र जारी करनेवाला सक्षम प्राधिकारी (जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित हो) :

- दिव्यांगो के लिए :

  जिला स्तर पर प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकरण मेडिकल बोर्ड होगा जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी,जिले में उप-मंडलीय चिकित्सा अधिकारी और एक आर्थोपेडिक/ऑप्थेल्मिक/ईएनटी सर्जन हो।

- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग :

  क) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्म उपायुक्त/डिप्टल कलक्टर/फर्स्ट क्लास स्टाइप्नडरी मजिस्ट्रेट/उपमंडलीय मजिस्ट्रेट/ ताल्लुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त

  ख) मुख्य प्रसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

  ग) कम से कम तहसीलदार स्तर का राजस्व अधिकारी

  घ) उस क्षेत्र का उप-मंडलीय अधिकारी जहां उम्मीदवार या उसकी परिवार सामान्यत: रहते हैं।

4. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग का होने के प्रमाणपत्र का प्रारूप क्रमश: फार्म-क और फार्म-ख के अनुरूप हो जो कि इसके बाद संलग्नित हैं।

5. दिव्यांगो के लिए प्रमाणपत्र का प्रारूप नि:शक्तजन अधिकार नियम, 2017 में अनुलगनित प्रारूप के अनुसार होगा।

6. आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण DoPT कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-Estt (Res), दिनांक 31 जनवरी 2019 में दिये गए प्रावधान के अनुसार होगा। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग हेतु प्रमाणपत्र का प्रारूप दिये गए कार्यालय ज्ञापन में अनुलगनित के अनुसार होगा।

अनुलग्नक-III

1: आवेदक के पास आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तक आवश्यक योग्यता होनी चाहिए अर्थात, किसी भी परिस्थिति में उपस्थित होने के मामले/अपूर्ण योग्यता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जहां भी आवश्यक हो, पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के बाद की अवधि का अनुभव होनी चाहिए।

2: उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में स्नातक के लिए प्राप्त प्रतिशत की गणना निकटतम दो दशमलव तक की जाए। जहाँ सीजीपीए/ओजीपीए प्राप्त किया हो, उसी को प्रतिशत में परिवर्तित करके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाया जाना चाहिए।

3: प्रतिशत की गणना: सभी सेमेस्टर (ऑनर्स) में सभी विषयों के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को विभाजित करके प्रतिशत अंक प्राप्त किए जाएंगे, जो सभी विषयों में अधिकतम अंक हों, चाहे वह ऑनर्स/वैकल्पिक/अतिरिक्त वैकल्पिक हो। विषय, यदि कोई हो तो यह उन विश्वविद्यालयों के लिए भी लागू होगा जहां केवल ऑनर्स अंकों के आधार पर वर्ग/ग्रेड तय किया जाता है। इस प्रकार के प्रतिशत के अंशयानी 59.99% को 60% से कम और 49.99% को 50% से कम माना जाएगा और स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4: उल्लिखित सभी शैक्षिक योग्यता विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड भारत सरकार द्वारा अनुमोदित/नियामक निकाय से होनी चाहिए जो यूजीसी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। दोहरी योग्यता/विशेषज्ञता के मामले में, उम्मीदवारों को आवश्यक रूप से भर्ती प्रक्रिया के समय प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि उनकी मुख्य विशेषज्ञता पद के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता के अनुरूप है।

अनुलग्नक - **IV**

ऊपरी आयु सीमा में रियायत

विभिन्न वर्गों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुमत रियायत:

कोड नं.	वर्ग	ऊपरी आयु सीमा के बाद आयु सीमा में अनुमत रियायत
01	अजा/अजजा	5 वर्ष
02	अन्य पिछडा वर्ग	3 वर्ष
03	दिव्यांग(अनारक्षित)	10 वर्ष
04	दिव्यांग(अन्य पिछडा वर्ग)	13 वर्ष
05	दिव्यांग(अजा/अजजा)	15 वर्ष
06	भूतपूर्वसैनिक (ईएक्सएसएम)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख तक, सेना में दी गई सेवा पूरी करने के बाद वास्तविक आयु से तीन वर्ष अधिक।
07	रक्षा कार्मिक जोकि किसी दूसरे देश से लडाई में या अशांत क्षेत्र या में ऑपरेशन के दौरान घायल होकर निशक्त हुए हों।	03 वर्ष
08	रक्षा कार्मिक जोकि किसी दूसरे देश से लडाई मेया अशांत क्षेत्र या में ऑपरेशन के दौरान घायल होकर निशक्त हुए हों। (अजा/ अजजा/अन्य पिछडा वर्ग).	अजा/अजजा के लिए 08 वर्षऔर अन्य पिछडा वर्ग के लिए 06 वर्ष
09	विधवा/ तलाकशुदा महिला/ न्यायिक रूप से अलग और जिनका पुनर्विवाह नही हुआ है.	35 वर्ष की आयु तक
10	विधवा/ तलाकशुदा महिला/ न्यायिक रूप से अलग और जिनका पुनर्विवाह नही हुआ है (अजा/अजजा/अन्य पिछडा वर्ग)	अजा/अजजा के लिए 40 वर्ष की आयु तक अन्य पिछडा वर्ग के लिए 38 वर्ष
11	बीआईएस कर्मी [केवल मौजूदा]	50 वर्ष तक

नोट: उपरोक्त मदों या अन्य किन्हीं मदों के साथ समेकित या संयोजित करके आयु सीमा में छूट उपलब्ध नही होगी।

नोट I: भूतपूर्व सैनिक टर्म समय समय पर संशोधित भूतपूर्व सैनिक नियम 1979 (सिविल सेवा और पदों में पुनर्रोजगार) , 1979 में परिभाषित भूतपूर्वक सैनिक पर लागू होगा

नोट II: जो **ECOs/SSCOs** सहित भूतपूर्व सैनिक और कमीशन्ड अधिकारी अपने अनुरोध पर मुक्त हुए हैं उन्हें उपरोक्त पैरा **(a)** और **(b)** उन्हे आयु सीमा में रियायत नही दी जाएगी।

नोट III: आयु सीमा में रियायत के लिए उम्मीदवार को आवश्यक प्रमाण-पत्रों की प्रतियां कौशल परीक्षा / प्रयोगात्मक परीक्षा /व्यावसाय परीक्षा अथवा बीआईएस की अपेक्षा के अनुसार भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों में जमा करनी होंगी।

नोट IV: अनआरक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले अजा/अजजा/अ.पि.व के उम्मीदवारों को सामान्य मेरिट में माना जाएगा और उन्हे ऊपरी आयु सीमा में कोई छूट नही दी जाएगी।

अनुलग्नक – V

परीक्षा का स्वरूप

क) **तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला)**

परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नलिखित होगा :

Sl. No.	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम नियम	कुल समय
1.	तर्कशक्ति	50	50	120 मिनट
2.	अंग्रेजी भाषा	50	50	
3.	सामान्य ज्ञान	50	50	
4.	संबंधित विषय का तकनीकी ज्ञान (इलेक्ट्रिक / यांत्रिक/ रसायन/ माइक्रो बॉयोलोजी/सिविल)	50	50	
कुल		200	200	

उम्मीदवार को संबंधित विषय का तकनीकी ज्ञान परीक्षा में न्यूनतम 50 % अंक और ऑनलाइन परीक्षा के कुल अधिकतम अंको के 50% अंक हासिल करने होंगे तभी उन्हें कौशल परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा/व्यावसायिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग प्रकृति की होगी।

ख) ***वरिष्ठ तकनीशियन***

परीक्षा का निम्नलिखित पाठ्यक्रम होगा:

क्रम सं.	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम संख्या	कुल समय
1.	तर्कशक्ति	50	50	120 मिनट
2.	अंग्रेजी भाषा	50	50	
3.	सामान्य ज्ञान	50	50	
4.	आईटीआई के सामान्य पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न	50	50	
कुल		200	200	

क्वालिफाइंग प्रकृति की कौशल परीक्षा/प्रयोगात्मक परीक्षा/व्यावसायिक परीक्षा का पात्र होने के लिए उम्मीदवार को आईटीआई के सामान्य पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न (क्र.सं. 4) परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक और ऑनलाइन परीक्षा के कुल अधिकतम अंको के 50% अंक लाने होंगे।

नोट**1**:अंग्रेजी भाषा की परीक्षा के अतिरिक्त उपरोक्त सभी परीक्षाएं द्विभाषी रूप में उपलब्ध अर्थात अंग्रेजी और हिंदी में होंगी।

नोट2: **गलत उत्तर के लिए दंड**: प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे।

अनुलग्नक – VI

परीक्षा केंद्र

परीक्षा निम्न केंद्रो में आयोजित की जाएगी/की जा सकती हैः

क्रमांक	राज्य	शहरों का परीक्षण	क्रमांक	राज्य	शहरों का परीक्षण
1	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	22	तेलंगाना	हैदराबाद
2	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	23	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
3	बिहार	पटना	24	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद
4	छत्तीसगढ़	रायपुर	25	उत्तराखंड	देहरादून
5	गोवा	पंजी	26	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
6	गुजरात	अहमदाबाद	27	चंडीगढ़	चंडीगड़
7	गुजरात	वडोदरा	28	दिल्ली	दिल्ली
8	हरियाणा	चंडीगड़	29	सिक्किम	गंगटोक
9	हिमाचल प्रदेश	शिमला	30	असम	गुवाहाटी
10	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	31	मेघालय	गुवाहाटी
11	झारखंड	रांची	32	अरूणाचल प्रदेश	गुवाहाटी
12	कर्नाटक	बेंगलुरू	34	मणिपुर	गुवहाटी
13	केरला	तिरूवनंतपुरम	35	मेघालय	गुवाहाटी
14	मध्य प्रदेश	भोपाल	36	मिजोरम	गुवहाटी
15	महाराष्ट्र	मुंबई	37	त्रिपुरा	गुवाहाटी
16	ओडिशा	भुवनेश्वर	38	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	चेन्नई
17	पंजाब	चंडीगड़	39	दादर और नगर हवेलौ	अहमदाबाद/ वडोदरा
18	पंजाब	बठिंडा	40	दादर और द्वीप	अहमदाबाद/ वडोदरा
19	राजस्थान	जयपुर	41	लक्षद्वीप	कोयंबटूर
20	तमिलनाडु	चेन्नई	42	पुडुचेरी	चेन्नई
21	तमिलनाडु	कोयंबटूर			

1. ईमेल से भेजे जानेवाले प्रवेश पत्र में परीक्षा का स्थान सूचित किया जाएगा।
1. परीक्षा केंद्र /स्थान/सत्र तारीख बदलने का कोई भी अनुरोध स्वीकार नही किया जाएगा।
2. बीआईएस अपने विवेकानुसार परीक्षार्थियों की संख्या और प्रशासनिक साध्यता के अधीन किसी भी परीक्षा केंद्र को रद्द कर सकता है या किसी परीक्षा केंद्र को शामिल कर सकता है।
3. बीआईएस को अधिकार है कि वह किसी भी उम्मीदवार का परीक्षा केंद्र बदल सकता है जो कि उसके चयनित परीक्षा केंद्र से अलग हो सकता है।
4. परीक्षार्थी अपने जोखिम एवं खर्च पर परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र में उपस्थित हो।
5. बीआईएस किसी भी प्रकार की चोट अथवा हानि के लिए जिम्मेदार नही होगा।

अनुलग्नक –VII

ऑनलाइन परीक्षा मेंभाग लेने के लिए अन्य दिशानिर्देश/जानकारी

1. कटऑफ स्कोर:

i) अभ्यर्थी के लिए आगे की चयन प्रकिया के लिए आनलाइन परीक्षा में प्रत्येक विषय मे में कम से कम 50% अंक एवं कुल अंको में से कम से कम 50% अंक भी अपेक्षित हैं।

ii) भिन्नभिन्न- सत्रों(यदि हुआ है) में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त संशोधित अंकों सम-जायेगा प्रतिशतता पद्यति के प्रयोग से सामान्यकृत किया

iii) व्यैक्तिक परीक्षाओं में केवल उत्तीर्णता अभ्यर्थी के रूप में पर्याप्त नहीं हो सकती है बल्कि कोशल परीक्षा के लिए बुलावा हेतु मैरिट के ,प्रैक्टिकल परीक्षा। ट्रेड परीक्षा मामला हो / क्रम में कुल पर्याप्त उच्चतम अंक भी प्राप्त करने चाहिये।

2. स्कोर पर पहुंचने के लिए प्रक्रिया

आनलाइन परीक्षा के लिए स्कोर निम्नलिखित प्रक्रिया ग्रहण करके प्राप्त किये जाते है:

(i) प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रश्नों का अभ्यर्थी द्वारा सही उत्तर देने पर गलत उत्तर के अंक काटने के बाद उसकी सही अंकों में गणना की जाएगी।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त संशोधित स्कोर समीकृत स्कोर पर पहुंचने के लिए भिन्न-भिन्न सत्रों में आयोजित प्रत्येक वैकल्पिक परीक्षाओं में, यदि कोई हो, विभिन्न स्तरों पर अल्प-अंतर का ध्यान रखते हुये एक समान किया जाएगा*

* किसी भी परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त स्कोर को सभी फॉर्म के अंकों के वितरण पर विचार करके आधार फॉर्म के बराबर किया जाएगा।

(iii) टेस्टवार अंक और कुल अंकों पर स्कोर दो अंकों तक दशमलव बिंदु के साथ रिपोर्ट किए जाते हैं।

नोट : कट ऑफ दो चरणों में लागू किए जाते हैं:

(i) व्यक्तिगत परीक्षणों में स्कोर पर; (ii) कुल प्राप्तांक पर

उम्मीदवारों का सत्यापन: पहचान सत्यापन

परीक्षा हॉल के साथ-साथ चयन की प्रक्रिया के दौरान , एडमिट कार्ड मूल के साथ और उम्मीदवार की वर्तमान में मान्य फोटो पहचान की एक फोटोकॉपी सहित (जिसपर एडमिट कार्ड बिल्कुल जैसा ही नाम दिखाई दे) जैसे पैन कार्ड/ पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस / वोटर कार्ड / बैंक पासबुक जिसमें फोटो / फोटो पहचान प्रमाण के साथ जारी किया गया हो, एक सरकारी अधिकारी के लेटरहेड पर एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया फोटो / फोटो पहचान प्रमाण आधिकारिक लेटरहेड पर एक फोटो / वैध हाल ही में जारी किए गए पहचान पत्र के साथ। फोटो के साथ एक मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय / आधार कार्ड / फोटोग्राफ के साथ कर्मचारी आईडी, सत्यापन के लिए पर्यवेक्षक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उम्मीदवार की पहचान को विवरण, एडमिट कार्ड पर उसका विवरण , उपस्थिति सूची और अपेक्षित दस्तावेज साथ उसकी पहचान के लिए सत्यापित किया जाएगा, उसको यदि उम्मीदवार की पहचान संदेह में है, तो उम्मीदवार को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

इस परियोजना के लिए ईआधार कार्ड और राशन कार्ड- वैध आईडी प्रमाण नहीं हैं ।

ध्यान दें:

उम्मीदवारों को मूल फोटो पहचान प्रमाण में प्रस्तुत करना होगा और परीक्षा / कौशल परीक्षण / व्यावहारिक परीक्षण / ट्रेड टेस्ट में भाग लेने के दौरान ऑनलाइन परीक्षा एडमिट कार्ड के साथ फोटो पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी जमा करनी होगी, जिसके बिना उन्हें परीक्षा / कौशल परीक्षण / व्यावहारिक परीक्षण / व्यापार परीक्षण देने की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि एडमिट कार्ड पर दिखाई देने वाला नाम (पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान प्रदान किया गया) फोटो पहचान प्रमाण के रूप में प्रदर्शित होने वाले नाम से बिल्कुल मेल खाना चाहिए। जिन महिला उम्मीदवारों ने विवाह के बाद / पहले / अंतिम / मध्य नाम का पद बदला है, उन्हें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि एडमिट कार्ड और फोटो पहचान प्रमाण में दिए गए नामों के बीच कोई बेमेल है तो उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन उम्मीदवारों के मामले में जिन्होंने अपना नाम बदल लिया है, केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब वे मूल राजपत्र अधिसूचना / मूल विवाह प्रमाण पत्र / मूल में शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे।

देरी से पहुंचने वाले उम्मीदवारों रिपोर्टिंग समय पर निर्दिष्ट के बाद के लिए, परीक्षा लेने के लिए अनुमति नहीं होगी एडमिट कार्ड पर उल्लिखित रिपोर्टिंग समय परीक्षा के प्रारंभ समय से पहले है। हालांकि, परीक्षा की अवधि 2 घंटे है, उम्मीदवारों को लगभग 4 घंटे के लिए कार्यक्रम स्थल पर होना आवश्यक है, जिसमें सत्यापन जैसे विभिन्न अपेक्षित दस्तावेजों का संग्रह लाग-इन निर्देश देना; आदि औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक समय शामिल है।

4. स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करना

(i) उल्लेखित पदों के लिए आवेदन करने से पहले, उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह इस विज्ञापन में वर्णित पात्रता और अन्य मानदंडों को पूरा करता है। इसलिए उम्मीदवार इस विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें।

(ii) उम्मीदवार का परीक्षा / उसके बाद की प्रक्रिया में प्रवेश सख्ती से अनंतिम है। उम्मीदवार को एडमिट कार्ड जारी किए जाने का केवल यह तथ्य नहीं है कि उसकी / उसकी उम्मीदवारी को अंतिम रूप दिया गया है। बीआईएस प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा, किसी भी स्तर पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द करने की स्थिति में यह पता लगाया जाएगा कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है और / या कि उसने कोई गलत विकल्प प्रस्तुत किया है। / गलत सूचना / प्रमाण पत्र / दस्तावेज या किसी भी भौतिक तथ्य (एस) को छुपा दिया है। यदि नियुक्ति के बाद इन कमियों में से किसी का पता लगाया जाता है, तो उसकी सेवाओं को तत्काल समाप्त किया जायेगा।

(iii) भर्ती से संबंधित सभी मामलों में बीआईएस का निर्णय अंतिम और उम्मीदवार पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में बीआईएस द्वारा कोई पत्राचार या व्यक्तिगत पूछताछ पर विचार नहीं किया जायेगा।

5. सूचना:

(i) ऑनलाइन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में पंजीकृत ईमेल आईडी और/ या मोबाइल नंबर पर ही ईमेल और एसएमएस द्वारा सूचना भेजी जाएगी।

(ii) बीआईएस के नियंत्रण से परे मोबाइल नंबर, ईमेल पते, तकनीकी गलती या अन्यथा में परिवर्तन के मामले में सूचना उम्मीदवारों तक नहीं पहुंचती है तो इसके लिए बीआईएस जिम्मेदार नहीं होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अद्यतन के लिए बीआईएस वेबसाइट www.bis.gov.in पर बीच-बीच में देखते रहें।

6. मोबाइल फोन, पेजर्स, कैलकुलेटर या किसी भी तरह के यंत्रों का उपयोग

(i) मोबाइल फोन, पेजर या किसी अन्य संचार उपकरण परीक्षा आयोजित परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन होने पर वर्तमान एवं भविष्य की परीक्षाओं के लिए प्रतिबंध सहित उम्मीदवारी और अनुशासनात्मक कार्रवाई करके रद्द कर दिया जाएगा।

(ii) उम्मीदवारों को अपने स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि परीक्षा के स्थान पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को न लाएं, क्योंकि उन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

(iii) अभ्यर्थियों को परीक्षा परिसरों में कैलकुलेटर रखने या उसे उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

7. ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारी एक सूचना हैंडआउट में दी जाएगी, जो उम्मीदवारों को बीआईएस की वेबसाइट से एडमिट कार्ड के साथ डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

8. अभ्यर्थी द्वारा स्क्राइब (लिखने वाला) परीक्षा में किसी भी पद के लिए उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। यदि प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उपरोक्त उल्लंघन का पता चलता है, तो उम्मीदवार और प्रति लिखने वाले दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। परीक्षा में कोई उपस्थिति/पेशी तत्काल खारिज कर दी जाएगी / उम्मीदवारी रद्द कर दिये जाएगी ।

9. एक बार पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और एक बार भुगतान किए गए आवेदन शुल्क / सूचना शुल्क वापस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित रखा जाएगा ।

10. कदाचार/अनुचित माध्यमों के प्रयोग के दोषी पाये जाने वाले उम्मीदवारों के विरूद्ध कार्रवाई:

उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे कोई भी ऐसा विवरण प्रस्तुत न करें जो झूठे हैं, कपटपूर्ण या गढ़े हुए हैं और ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय किसी भी सामग्री की जानकारी छिपाई नहीं जानी चाहिए।

परीक्षा के समय, साक्षात्कार या उसके बाद की चयन प्रक्रिया में, यदि कोई उम्मीदवार दोषी है या) - (हो चुका है

(क) अनुचित साधनों का उपयोग करते हुये या

(ख) किसी दुसरे के नाम से कार्य या किसी भी व्यक्ति के लिए प्रतिरूपण करके।

(ग) परीक्षा/साक्षात्कार हॉल में किसी भी उद्देश्य के लिए दुर्व्यवहार या भेद खोलना, प्रकाशन, पुनरुत्पादन, संचारण, भंडारण या परीक्षण की सामग्री के संचरण और भंडारण की सुविधा या किसी भी रूप में या उसके किसी भी रूप में या उसके द्वारा किसी भी रूप में पूरे या आंशिक रूप से मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यंत्रवत् जानकारी का भंडारण करना।

(घ) उसका उसकी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित साधन का सहारा /; **या**

(ड़) अनुचित साधनों द्वारा उसकाउसकी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना / , या

(च) परीक्षा साक्षात्कार हॉल में संचार के मोबाइल फोन या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जाना, इस तरह के उम्मीदवार, आपराधिक अभियोजन के लिए खुद ही उत्तरदायी होगा:

(i) जिस परीक्षा में वह उम्मीदवार है उस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा;

(ii) बीआईएस द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से या तो स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए रोक लगाई जा सकती है;

(iii) सेवा समाप्ति के लिए, यदि वह पहले ही बीआईएस कार्यभार ग्रहण कर चुका है ।

महत्वपूर्ण: बीआईएस सही और गलत उत्तरों की समानता के पैटर्न का पता लगाने के लिए अन्य उम्मीदवारों के साथ व्यक्तिगत उम्मीदवारों की प्रतिक्रियाओं (उत्तरों) का विश्लेषण करेगा। यदि इस संबंध में बीआईएस द्वारा अपनाई गई विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में, यह अनुमान / निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रतिक्रियाएं साझा की गई हैं और प्राप्त अंक वास्तविक / वैध नहीं हैं, तो बीआईएस संबंधित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को रद्द करने का अधिकार रखता है और ऐसे उम्मीदवारों के परिणाम (अयोग्य) को रोक दिया जाएगा।

11. बुलावा पत्र

परीक्षा / कौशल परीक्षण / व्यावहारिक परीक्षण /ट्रेड परीक्षण के लिए केंद्र, स्थल का पता, पद के लिए आवेदन करने की तिथि और समय , जहां भी लागू हो, संबंधित एडमिट कार्ड में सूचित किया जाएगा। जिस उम्मीदवार ने सफलतापूर्वक पंजीकृत किया है ,उसे बीआईएस की वेबसाईट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहिए। एडमिट कार्ड सूचना हैंडआउट की कोई हार्ड कॉपी डाक // कोरियर द्वारा नहीं भेजी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ईमेल और / एसएमएस द्वारा सूचना भेजी जाएगी । बीआईएस मोबाइल नंबर, ईमेल पते, तकनीकी खराबी या अन्यथा बीआईएस के नियंत्रण से परे होने के कारण उम्मीदवार को किसी भी ई-मेल की देर से रसीद / गैर-रसीद / एसएमएस के माध्यम से भेजे जाने की जिम्मेदारी नहीं लेगा ।

इसलिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से अपडेट के लिए BIS की वेबसाइट www.bis.gov.in के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है और भर्ती प्रक्रिया के दौरान सम-समय पर उनके पंजीकृत ई-मेल खाते की जांच करने के लिए किसी भी सूचना को आगे के मार्गदर्शन के लिए पोस्ट किया जा सकता है।

अनुलग्नक VIII

आवेदन कैसे करें

निम्नलिखित के लिए विस्तृत दिशानिर्देश:प्रक्रियाएं/

A. आवेदन पंजीकरण

B. फीस का भुगतान

c. फोटोग्रैफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड

उम्मीदवार आनलाइन आवेदन के प्रारम्भ की तारीख 17 फरवरी 2020 को (09.00 बजे) से आवेदन की अंतिम तारीख 08.03.2020 को (18.00 बजे) तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन का कोई अन्य मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा।

महत्वपूर्ण पंजीकरण से पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दें:

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को चाहिए-

i. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को यह सुनिश्चित करते हुए स्कैन करें कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर दोनों आवश्यक विनिर्देशों का पालन करते हैं जैसा कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड के लिए दिशानिर्देश के तहत दिया गया है।

ii. एक मान्य व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हो, जिसे इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। बैंक पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से परीक्षा आदि के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सूचना भेज सकता है। यदि उम्मीदवार के पास एक वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी नहीं है, तो उसे अपना नया ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर बनाना चाहिए। ऑन-लाइन आवेदन करने से पहले और उस ईमेल खाते और मोबाइल नंबर को बनाए रखना चाहिए।

iii आवेदन शुल्क / सूचना शुल्क (नॉन-रिफ़ंडएबल)

दिनांक 17.02.2020 को (09.00 बजे) से 08 मार्च 2020 (18.00 बजे) तक आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है।
बैंक लेनदेन शुल्क उम्मीदवार को वहन करना होगा।

क. **आवेदन प्रक्रिया**

1. उम्मीदवारों को बीआईएस की वेबसाइट www.bis.gov.in पर जाना होगा और "करियर अवसर" शीर्षक के तहत "भर्ती विज्ञापन/परिणाम" टैब पर क्लिक करना होगा और फिर "**APPLY ONLINE**" पर क्लिक करना होगा जो एक नई स्क्रीन खोलेगा।

2. आवेदन पंजीकृत करने के लिए, टैब "**नए पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करें**" चुनें और नाम, संपर्क विवरण और ईमेलदर्ज करें। आईडी- एक अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड सिस्टम द्वारा उत्पन्न किया जाएगा और स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवार को अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड को नोट करना चाहिए। एक ईमेल और एसएमएस जो कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्शाता है, भेजा जाएगा।

3. यदि उम्मीदवार एक बार में आवेदन फॉर्म को पूरा करने में असमर्थ है, तो वह "सेव एंड नेक्स्ट" टैब चुनकर पहले से दर्ज डेटा को सुरक्षित रख सकते है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण को सत्यापित करने के लिए "सेव एंड नेक्स्ट" सुविधा का उपयोग करें और यदि आवश्यक हो तो उसी को संशोधित करें। दृष्टिहीन उम्मीदवारों को आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापित विवरण प्राप्त करना चाहिए कि अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले वे सही हैं।

4. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरणों को सावधानीपूर्वक भरें और सत्यापित करें क्योंकि अंतिम परिवर्तन पर क्लिक करने के बाद कोई बदलाव संभव नहीं होगा।

5. उम्मीदवार का नाम या उसके पिता/पति आदि को आवेदन में सही ढंग से लिखा जाना चाहिए जैसाकि यह प्रमाणपत्र / मार्क शीट / पहचान प्रमाण में दिया गया है। कोई भी परिवर्तन / बदलाव उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित कर सकता है।

6. अपने 'विवरणों को सत्यापित' करें और 'अगला' बटन' पर क्लिक करके अपना आवेदन सेव करें।

7. उम्मीदवार "सी" बिंदु के तहत फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के दिशानिर्देशों के अनुसार फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए आगे बढ़े।

8. उम्मीदवार आवेदन पत्र के अन्य विवरण भरने के लिए आगे बढ़े।

9. 'अन्तिम प्रस्तुति' से पहले पूरे आवेदन फॉर्म का समीक्षा और सत्यापन करने के लिए प्रीविव टैब पर क्लिक करें।

10. फ़ाइनल सबमिट करने से पहले यदि आवश्यक हो, तो यह सुनिश्चित करें कि फॉर्म में दिये गए विवरण व फोटो, हस्ताक्षर अपलोड किए गए हैं और आपके द्वारा भरे गए अन्य विवरण सही हैं।

11. 'पेमेंट टैब पर क्लिक करें और भुगतान के लिए आगे बढ़ें।

12. 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

क. शुल्क का भुगतान (ऑनलाइन मोड)

1. आवदेन पत्र भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत है और निम्नलिखित निर्देशों का पालन करके भुगतान किया जा सकता है।
2. भुगतान डेबिट कार्ड (रूपे/विजा/मास्टर कार्ड/मैस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस,कैश कार्ड/मोबाइल वॉलेट का उपयोग करके किया जा सकता है।
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी भुगतान जानकारी जमा करने के बाद, कृपया सर्वर से जानकारी के लिए प्रतीक्षा करें। दो बार शुल्क से बचने के लिए बैक या रिफ्रेश बटन को न दबाएं।
4. ट्रांजेक्शन के सफलतापूर्वक पूरे होने पर, ई-रसीद जनरेट होगी।

5. ई-रसीद जनरेट न होने पर भुगतान की विफलता को इंगित करती है। भुगतान की विफलता पर अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे अपने अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके फिर से लॉग-इन करें और भुगतान की प्रक्रिया को दोहराएं।
6. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र और ई-रसीद का प्रिंटआउट लेना होगा। कृपया ध्यान दें कि यदि यह जनरेट नहीं होता है तो ऑनलआइन ट्रांजैक्शन सफल नहीं हुआ है।
7. क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए : सभी शूल्क भारतीय रूपये में सूचीबद्ध है। यदि आप गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आपका बैंक मुद्रा को वर्तमान दरों के आधार पर आपकी स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित कर देगा।
8. अपने डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एक बार ट्रांजैक्सन पूरा होने बाद कृपया अपनी ब्राउजर विंडों बंद कर दें।
9. शुल्क के भुगतान के बाद शुल्क विवरण सहित आवेदन पत्र को प्रिंट करने की सुविधा होगी।

ख. फोटोग्राफ(4.5 सेंमी.x3.5 सेंमी) और हस्ताक्षर को अपलोड़ और स्कैन करने के लिए दिशानिर्देश

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को नीचे दिए गए निर्देशानुसार अपनी फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन (डिजिटल) इमेज की आवश्यकता होगी।

फोटोग्राफ इमेज:

- फोटोग्राफ नवींत्तम पासपोर्ट स्टाइल की कलर की पिक्चर होनी चाहिए।

- यह सुनिश्चित करें कि पिक्चर कलर हो, जिसे हल्के रंग, अधिमानत: सफेद बैकग्राउंड पर लिया गया हो।

- रिलेक्सफेस से कैमरे की तरफ सीधा देखें।

- यदि तस्वीर धूप में ली गई है, तो आपके पीछे सूरज हो, या फिर आप छाया में फोटो ले सकते हैं, ताकि आप स्क्वीटिंग न करें और कोई छाया न हो ।

- यदि आपको फ्लैश का उपयोग करना है, तो सुनिश्चित करें कि "रेड-आई" न हो।

- यदि आप चश्मा पहनते हैं तो सुनिश्चित करें कि कोई प्रतिबिंब न हो और आपकी आँखें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हों।

- हैट, कैप और गहरे रंग के चश्में न लगाएं हो। धार्मिक टोपी पहनी जा सकती है लेकिन इससे आपका चेहरा नहीं छिपना चाहिए।

- आयाम 200 x 230 पिक्सेल (अधिमान्य)

- फाइल का आकार 20केबी-50 केबी के बीच होना चाहिए

- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का आकार 50 केबी से अधिक न हो। यदि फ़ाइल का आकार 50 केबी से अधिक है, स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान स्कैनर की सेटिंग्स जैसे कि डीपीआई रिज़ॉल्यूशन, रंगों की संख्या आदि को समायोजित करें ।

हस्ताक्षर इमेज:

- आवेदक को ब्लैक इंक पेन से सफेद पेपर पर हस्ताक्षर करना होगा।
- हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।
- हस्ताक्षर का उपयोग उपस्थिति पत्र पर और अन्य जहां भी आवश्यक हो, वहाँ किया जाएगा।
- परीक्षा के समय प्रवेश पत्र और उपस्थिति पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए। मेल न होने के मामले में, आवेदक को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- आयाम 140 x 60 पिक्सेल (अधिमान्य)
- फाइल का आकार 10केबी-20केबीके बीच होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का आकार 20केबीसे अधिक न हो।
- बड़े अक्षरो में हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होंगे।

फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैनिंग

- स्कैनर रिज़ॉल्यूशन को न्यूनतम 200 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) पर सेट करें
- कलर को सही कलर में सेट करें
- ऊपर निर्दिष्टानुसार फाइल की साइज़ होनी चाहिए।
- इमेज में फोटोग्राफ / हस्ताक्षर के इमेज को क्रॉप करें, फिर इमेज को अंतिम आकार देने के लिए अपलोड एडिटर का उपयोग करें (जैसा कि ऊपर दिया गया है)
- इमेज फाइल जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में, फ़ाइल के नाम इमेज 01.जेपीजी या इमेज 01.जेपीईजी इमेज आयाम फ़ोल्डर फ़ाइलों की लिस्टिंग करके या फ़ाइल इमेज आइकन पर माउस ले जाकर चेक की जा सकती है।
- एमएस विंडोज / एमएस ऑफिस का उपयोग करने वाले अभ्यर्थी आसानी से एमएस पेंट या एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर का उपयोग करके क्रमशः फोटो और हस्ताक्षर को .जेपीईजी फॉर्मेट में 50 केबी एवं 20 केबी में बना सकते हैं। किसी भी फॉर्मेट में स्कैन किए गए फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को .जेपीजी फॉर्मेट में 'सेव' विकल्प का उपयोग करके जेपीजी फॉर्मेट में सेव किया जा सकता है और 'इमेज' मेनू में रिसाइज विकल्प (कृपया पिक्सल साइज के लिए उपरोक्त बिंदु (i) और (ii) देखें) और क्रॉप का उपयोग करके 50 केबी (फोटोग्राफ) और 20 केबी (हस्ताक्षर) से कम किया जा सकता है ।
- यदि फ़ाइल का साइज और फॉर्मेट निर्धारित नहीं है, तो एक त्रुटि का मैसेज दिखेगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दौरान अभ्यर्थी को उसकी फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए एक लिंक प्रदान किया जाएगा।

फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड़ करने की प्रक्रिया

- फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दो अलग-अलग लिंक होंगे
- संबंधित लिंक पर क्लिक करें "फोटोग्राफ / हस्ताक्षर अपलोड करें"

- ब्राउज़ करें और उस स्थान का चयन करें जहां स्कैन की गई फोटोग्राफ / हस्ताक्षर फ़ाइल सेव की गई है।
- उस पर क्लिक करके फाइल को चुनें
- 'ओपन/अपलोड़'बटन पर क्लिक करें

जब तक आप निर्दिष्टानुसार अपनी फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को अपलोड़ नहीं करते हैं, तब तक आपका ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत नहीं माना जाएगा।

टिप्पणी :

(1) यदि फोटोग्राफ या हस्ताक्षर में चेहरा स्पष्ट नहीं है तो अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटोग्राफ / हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद, अभ्यर्थियों को यह देखना होगा कि इमेज स्पष्ट हैं और उसे सही तरीके से अपलोड किया गया है। यदि फोटोग्राफ या हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अभ्यर्थी अपना आवेदन एडिट कर सकता है और आवेदन जमा करने से पहले अपनी तस्वीर या हस्ताक्षर को फिर से अपलोड कर सकता है।

(2) ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद अभ्यर्थियोंको सलाह दी जाती है कि वे अपने सिस्टम जनरेटिड ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लें।

अनुलग्नक-IX

अन्य महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देश

- भर्ती प्रक्रिया या उसके बाद के सभी संबंधित संचार / निर्देश / जानकारी केवल पंजीकृत मोबाइल नंबर और पंजीकृत ईमेल पर आईडी / एसएमएस के माध्यम से किया जाएगी। महत्वपूर्ण नोटिस और सूचना बीआईएस वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। इसलिए, अभ्यर्थियों को अपनी ईमेल आईडी / एसएमएस की जांच करनी चाहिए और अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से बीआईएस वेबसाइट को भी देखना चाहिए।
- भर्ती प्रक्रिया सहित इस विज्ञापन से उत्पन्न कोई भी विवाद दिल्ली स्थित न्यायालयों के एकमात्र अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।
- **गलत उत्तर के लिए पेनल्टी**: ऑन-लाइन परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती की जाएगी।
- किसी भी रूप में प्रचार करने पर अयोग्यता होगी।
- यदि अंग्रेजी के अलावा इस विज्ञापन के किसी भी संस्करण में खंडों की व्याख्या के कारण कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो बीआईएस वेबसाइट पर उपलब्ध अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
- बीआईएस किसी अनधिकृत व्यक्ति / संस्था द्वारा प्रदान किए गए किसी भी आवेदन / गलत जानकारी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन का विवरण किसी के साथ साझा न करें।
- अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसके चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित किए जाने के अधीन होगी, और बीआईएसके लिए लागू सेवा और आचरण नियमों के अधीन भी होगी। बीआईएस का निर्णय अभ्यर्थियोंके लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- बीआईएस कोई कारण बताए बिना या मापदंड, चयन और आवंटन के किसी भी तरीके को बदलने (रद्द / संशोधित या जोड़ने) का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- परीक्षा के प्रशासन में कुछ समस्या उत्पन्न होने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, जो परीक्षा देना और / या परिणाम जनरेट होने से प्रभावित हो सकता है। उस परिस्थिति में, ऐसी समस्या को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों की गतिविधि, परीक्षा में देरी हो सकती है। पुन: परीक्षा का आयोजन संचालन संस्था के विवेकाधिकार पर है। पुन: परीक्षा के लिए अभ्यर्थी कोई दावा नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थी परीक्षा के प्रक्रिया में देरी के लिए शामिल नहीं होना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया से सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- बीआईएस प्रत्येक पद के लिए एक अलग सत्र में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने का प्रयास करेगा, लेकिन यदि उसी दिन और उसी समय में सभी के लिए ऑन-लाइन परीक्षा (यथा निश्चित) आयोजित की जाती है, तो किसी भी कारण से, ऐसी स्थिति में, अभ्यर्थी केवल एक पद के लिए ऑन-लाइन परीक्षा में उपस्थित हो सकेगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को इस तथ्य पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है।

- **<u>बीआईएस के मौजूदा विभागीय उम्मीदवारों के लिए निर्देश</u>** (अर्थात वर्तमान में बीआईएस के कर्मचारी के रूप में कार्यरत),जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे सीधे आवेदन कर सकते हैं और उन्हें अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
- **पहले से ही सेवा में अभ्यर्थियों के लिए निर्देश :**सरकारी/राज्य/पीएसयू आदि में कार्यरत अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षण / व्यावहारिक परीक्षण / ट्रेड टेस्ट के समय अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा, जैसा भी मामला हो।

परिशिष्ट – क

लिखने में परीक्षार्थी की बाधा संबंधी प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि, मैनें श्री/सुश्री/श्रीमती..... .... (दिव्यांग उम्मीदवार का नाम), व्यक्ति (दिव्यांग्ता प्रमाणपत्र में उल्लिखित दिव्यांगता की प्रकृति एवं प्रतिशत)
सुपुत्र/सुपुत्री.....निवासी..... .....(गांव/जिला/राज्य) की जांच की हैं और *यह अधिघोषित* किया जाता है कि इस व्यक्ति की शारीरिक सीमाएं हैं और दिव्यांगता के कारण इसकी लिखने की क्षमता बाधित है।

हस्ताक्षर

सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान का
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/सिविल
सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

नाम व पदनाम.
सरकारी हस्पताल/स्वास्थ्य सेवा केन्द्र का नाम सील के साथ

स्थान :
तिथि :

नोट :
प्रमाणपत्र संबद्ध शाखा/दिव्यांग्ता (अर्थात दृष्टिबाधता – ऑप्थलेमोजिस्ट, लोकोमोटर दिव्यांग्ता – नेत्र विशेषज्ञ/पीएमआरजे द्वारा दिया गया हो।

परिशिष्ट – ख
स्वयं के लिखने वाले व्यक्ति हेतु अंडरटेकिंग

मैं.....जिला....., ...(राज्य का नाम) में..... पर (केन्द्र का नाम).....परीक्षा (परीक्षा का नाम) के लिएरोल नं.....वाले उम्मीदवार.....(दिव्यांग उम्मीदवार का नाम) के लिए उपस्थित रहूंगा। मेरी योग्यता..... .....है।

मैं एतदद्वारा घोषित करता/करती हूं कि.....(लेखक का नाम) उपरोक्त परीक्षा के लिए अधोहस्ताक्ष्क्षरी के लिए लिखने वाले/लैब सहायक की सेवा देंगे।

मैं एतदद्वारा घोषित करता/करती हूं कि इसकी योग्यता.....है। यदि बाद में यहा पाया जाता है कि इसकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा घोषित नहीं है और मेरी योग्यता से ऊपर है तो पद और उससे संबंधित दावों पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा।

(दिव्यांग के हस्ताक्षर)

स्थान :
तिथि :

फार्म क

भारत सरकार के अधीन पदो पर नियक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्गों द्वारा प्रस्तुत की जाने किए जाने हेतु प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....सुपुत्र/सुपुत्री श्री/श्रीमती.....ग्राम/नगर.....जिला/मण्डल... .....राज्य/संघ शासित* ..... जाति/जनजाति के व्यक्ति हैं जो निम्नलिखित के तहत अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति* के लिए मान्यता प्राप्त हैं:

* संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश, 1950;
* संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश, 1950;
* संविधान (अनुसूचित जातियों) संघ शासित आदेश, 1951;
* संविधान (अनुसूचित जनजातियों) संघ शासित आदेश, 1951;

[अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की सूची (संशोधन आदेश), 1956 में यथासंशोधित; बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966; हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971; संविधान/अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976];

* संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जातियों आदेश, 1956;
* संविधान (अंडमान & निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजातियों आदेश, 1959 यथासंशोधित अनुसूचित जतियों और अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976;
* संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जातियों आदेश, 1962;
* संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियों आदेश, 1962;
* संविधान (पुडुचेरी) अनुसूचित जातियों आदेश, 1964;
* संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजातियों आदेश, 1967;
* संविधान (गोवा, दमन & द्वीव) अनुसूचित जातियों आदेश, 1968;
* संविधान (गोवा, दमन & द्वीव) अनुसूचित जनजातियों आदेश, 1968;
* संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियों आदेश, 1970;
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियों आदेश, 1978;
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियों आदेश, 1978;
* संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजातियों आदेश, 1989;
* संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990;
* संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991;
* संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991;
* संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996;

#2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों जो एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से प्रवास किए हो के मामले में लागू होगा।

यह प्रमाणपत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर इन्हें जारी किया जाता है
श्री/श्रीमती/कुमारी.....के माता/पिता,
श्री/श्रीमती/कुमारी.....गांव/कस्बे.....जिला/ मण्डल.....राज्य/संघ क्षेत्र..... जोकि..... जाति/ जनजाति के है जिसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की मान्यता प्राप्त है -- ---------राज्य/संघ राज्य में है----------जिसे.....(प्राधिकारी का ना) ने सं..... दिनांक..... के द्वारा जारी किया है।
श्री/श्रीमती/कुमारी*..... जिनका परिवार आमतौर पर.....गांव/कस्बा*.....जिला/संभाग*.....राज्य/संघ राज्य में रहता है।

हस्ताक्षर.....
पदनाम.....
(कार्यालय/राज्य/संघ क्षेत्र की मुहर)

दिनांकः.....
स्थानः.....

नोटः यहां प्रयुक्त निबंधन "आमतौर पर रहना" का वही अर्थ होगा जो कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20में है।
---जो लागु नही हैं उन शब्दों को हटा दें।# जो पैरा लागु नही है उसे भी हटा दें।

<u>जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारियों की सूची</u>

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कॉलेटर/डिप्टी कमिश्नर/एडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुक मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त
(ii) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ एडीशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक स्तर के कम के ना हों।
(iv) उस क्षेत्र का उप-मण्डल अधिकारी जहां उम्मीदवार और अथवा अपने परिवार के साथ सामान्यत: निवास करता हो।

फॉर्म ख

भारत सरकार के अधीन पदो पर नियक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत की जाने किए जाने हेतु प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....सुपुत्र/सुपुत्री श्री/श्रीमती.....ग्राम/नगर.....जिला/मण्डल..... .....राज्य के ..... समुदाय के व्यक्ति हैं जो निम्नलिखित के तहत पिछड़ी जाति के लिए मान्यता प्राप्त हैं:

(i) दिनांक 10 सितंबर 1993 का संकल्प संख्या 12011/68/93-बीसीसीआई, दिनांक 13 सितंबर 1993 को भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-I, संख्या में 186 प्रकाशित

(ii) दिनांक 19 अक्तूबर 1994 का संकल्प संख्या 12011/9/94-बीसीसीआई, दिनांक 20अक्तूबर 1994 को भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-I, संख्या में 163 प्रकाशित

(iii) दिनांक 24 मई 1995 का संकल्प संख्या 12011/7/95-बीसीसीआई, दिनांक 25 मई 1995 को भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-I, संख्या में 88 प्रकाशित

(iv) दिनांक 9 मार्च 1996 का संकल्प संख्या 12011/96/94-बीसीसीआई

(v) दिनांक 6 दिसंबर 1996 का संकल्प संख्या 12011/44/96-बीसीसीआई, दिनांक 11 दिसंबर 1996 को भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-I, संख्या 210में प्रकाशित

(vi) दिनांक 3 दिसंबर 1997 का संकल्प संख्या 12011/13/97-बीसीसी

(vii) दिनांक 11 दिसंबर 1997 का संकल्प संख्या 12011/99/94-बीसीसी

(viii) दिनांक 27 अक्तूबर 1999 का संकल्प संख्या 12011/68/98-बीसीसी

(ix) दिनांक 6 दिसंबर 1999 का संकल्प संख्या 12011/88/98-बीसीसी, दिनांक 9 दिसंबर 1999 को भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-I, संख्या 270 में प्रकाशित

(x) दिनांक 4 अप्रैल 2000 का संकल्प संख्या 12011/36/99-बीसीसी, दिनांक 4 अप्रैल 2000 को भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-I, संख्या 71में प्रकाशित

(xi) दिनांक 21 सितंबर 2000 का संकल्प संख्या 12011/44/99-बीसीसी, दिनांक 21 सितंबर 2000 को भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-I, संख्या 210 में प्रकाशित

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार राज्य के जिला/मण्डल..... में सामान्य रुप से रहता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है किवह भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. [एससीटी], दिनांक 8-9-1993 और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004 स्था. (पंजी.) दिनांक 9.3.2004 और 14.10.2008 केसंशोधित प्रारूप की अनुसूची की तालिका 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।

मुहर सहित जिला मजिस्ट्रेट अथवा उप-आयुक्त का हस्ताक्षर

दिनांक:.....

स्थान:.....

एनबी: (क) यहां शब्द "ऑर्डिनरिली" का इस्तेमाल वही होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में किया गया है।

जाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार है

(v) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कॉलेटर/डिप्टी कमिश्नर/एडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त

(vi) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडीशनलचीफप्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(vii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक स्तर के कम के ना हों।

(viii) उस क्षेत्र का उप-मण्डल अधिकारी जहां उम्मीदवार और अथवा अपने परिवार के साथ सामान्यत: निवास करता हो।